

भारतीय रिज़़र्व बैंक

मानव संसाधन प्रबंध विभाग, चेन्‍नै

**खंड – 1**

**निविदा आमंत्रित करने की नोटीस (एनआईटी)**

**(केवल ई-खरीद के ज़रिए)**

**निविदा की अनुसूची (एसओटी)**

|  |  |
| --- | --- |
| ए) विभाग का नाम | मानव संसाधन प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्‍नै |
| **बी) ई-निविदा सं.** | आरबीआई / चेन्‍नै / क्षेत्रीय कार्यालय /एचआरएमडी **/2/23-24/ET/348** |
| सी) ई-निविदा का नाम | **आरबीआई, चेन्‍नै स्थित बैंक की आवासीय कॉलनियों (रिज़र्व बैंक स्‍टाफ क्‍वार्टर्स पीएच रोड एवं सीएच रोड, रिज़र्व बैंक अधिकारी क्‍वार्टर्स, कोयम्‍बेडु और अण्‍णा नगर) में सुविधा प्रबंधन सेवाएं (केयरटेकिंग और कैटरिंग)** |
| **डी) निविदा का माध्‍यम** | **ई-निविदा खरीद प्रणाली ऑनलाइन**  [www.mstcecommerce.com/eprocn)](http://www.mstcecommerce.com/eprocn)%20)  **के माध्यम से (भाग 1 -तकनीकी बोली और भाग 2 – वित्‍तीय बोली**) |
| **ई) पार्टियों को डाउनलोड करने के लिए एनआईटी की उपलब्धता तारीख** | 04 जनवरी 2024 को 11.00 बजे से |
| **एफ) निविदा की अनुमानित मूल्‍य** | प्रति वर्ष ₹97,70,400/- (मात्र सत्‍तावने लाख सत्‍तर हजार और चार सौ रुपये) जीएसटी सहित। (शुरुआत में 01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक 12 महीने के लिए। एजेंसी द्वारा संतोषजनक कार्यनिष्‍पादन और आरबीआई चेन्नै के विवेक के अधीन आगे दो साल तक यानी 31 मार्च 2027 (एक बार में एक वर्ष) तक बढ़ाया जा सकता है। |
| (जी) बयाना जमाराशि (ईएमडी) | एनईएफटी द्वारा ₹1,95,408/- (मात्र एक लाख पंचानवे हजार और चार सौ आठ रुपये)  लाभार्थी का नाम:  एचआरएमडी – आवंटन, आरबीआई – चेन्‍नै  लाभार्थी खाता नंबर: 186003001  आईएफएससी: RBIS0CNPA01 (5th and 10th digit is Zero)  ईएमडी अदा करने संबंधी साक्ष्‍य को एमएसटीसी पोर्टल में अपलोड की जानी है। बोली लगाने वालों को यह भी सूचित किया जाता है कि वे ई-मेल आईडी:allotmentchennai@rbi.org.in पर ईएमडी अदा करने संबंधी साक्ष्‍य को लेन-देन नंबर (स्‍कैन प्रति) भेजें। |
| **(एच) ईएमडी प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख** | 15.02.2024 को 10:00 बजे |
| **(आई)** ([www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi](https://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi)) **पर तकनीकी बोली एवं वित्‍तीय बोली लगाने की प्रारंभ तारीख** | 05.02.2024 को 10:00 बजे |
| **(जे) ऑनलाइन ई-टेंडर के लिए तकनीकी बोली और वित्‍तीय बोली की प्रस्‍तुति की अंतिम तारीख** | 15.02.2024 को 10:00 बजे |
| **(के) भाग - 1 (यानी तकनीकी बोली) खोलने की तारीख और समय**  **भाग - 2 (वित्‍तीय बोली) खोलने की तारीख** | 15.02.2024 को 15:00 बजे  **भाग - 2 (वित्‍तीय बोली) इलेक्‍ट्रानिक रूप से केवल उन बोलीकर्ताओं की खोली जाएगी जिनका भाग – 1 (तकनीकी बोली) आरबीआई, चेन्‍नै द्वारा उपयुक्‍त पायी गयी। ऐसे बोलीकर्ताओं को उनके द्वारा दिए गए विधिमान्‍य ई-मेल आईडी के ज़रिए भाग-2 (वित्‍तीय बोली) खोलने की तारीख संबंधी सूचना दी जाएगी।** |
| **(आई) बोली-पूर्व बैठक (ऑफलाइन)** | **इच्छुक बोलीकर्ताओं को निविदा के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट करने के लिए एक बोली-पूर्व बैठक आयोजित की जाएगी, जिन्होंने इसे बैंक के प्रामाणिक स्रोत से हल करने का विकल्प चुना है।**  **बोली-पूर्व बैठक की तिथि और समय:** 31.01.2024 को 15.30 बजे  **बोली-पूर्व बैठक का स्थान: भारतीय रिज़र्व बैंक, मानव संसाधन प्रबंध विभाग, सम्मेलन कक्ष नंबर 1, दूसरी मंजिल, फोर्ट ग्लासिस, राजाजी सालै, चेन्नै 600001.**  **अस्वीकरण: केवल बोली-पूर्व बैठक में भागीदारी संविदा प्रदान करने की गारंटी नहीं देगी और यह निविदा में उल्लिखित शर्तों एवं निबंधनों के अधीन है।**  **बोली-पूर्व बैठक में भाग लेना केवल स्वैच्छिक है और इसमें भाग लेने की सभी व्यवस्था इच्छुक बोलीकर्ताओं द्वारा की जानी चाहिए।**  **बोली-पूर्व बैठक प्रामाणिक / अधिकृत बैंक स्रोत से संपूर्ण निविदा में किसी भी प्रावधान पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए केवल एक मंच है और बैंक किसी भी परिस्थिति में किसी भी शर्तों एवं निबंधनों को शिथिल करने के किसी भी दावे को हतोत्साहित करता है।**  **बैठक की तिथि और समय परिवर्तन के अधीन बदल सकता है। बैंक यदि आवश्यक समझे तो अपने विवेक से बोली-पूर्व बैठक को रद्द कर सकता है।** |

उमा शंकर

क्षेत्रीय निदेशक

करार की शर्तें

यह करार एक पक्षकार के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक, जो कि आरबीआई अधिनियम 1934 के अंतर्गत स्‍थापित एक सांविधिक निकाय है, जिसका केंद्रीय कार्यालय फोर्ट, मुंबई में स्थित और और जिसका एक कार्यालय चेन्‍नै में स्थित है, जिसका प्रतिनिधित्‍व श्रीमती उमा शंकर, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, फोर्ट ग्‍लासिस, राजाजी सालै, चेन्‍नै – 600 001 (इसमें इसके बाद इसे ‘**प्रधान नियोक्‍ता**’ कहा गया है) तथा दूसरे पक्षकार के रूप में ................ (स्‍वामित्‍व/ भागीदारी फर्म/ कंपनी/ एजेंसी), जो कि कंपनी अधिनियम (कंपनी के मामले में) के उपबंधों के अंतर्गत निगमित है और जिसका पंजीकृत कार्यालय ................... पर स्थित है (इसमें इसके बाद इसे ‘**एजेंसी**’ कहा गया है) जिसका प्रतिनिधित्‍व श्री/ श्रीमती............, जिसे उनके निदेशक मंडल द्वारा यह करार करने के लिए दूसरे पक्षकार के रूप में अधिकृत किया गया है, के बीच .......... के .........वें दिन को निष्‍पादित किया गया।

और जबकि नियोक्ता रिज़र्व बैंक अधिकारी क्‍वार्टर्स, एसएएफ गेम्स विलेज, कोयंबेडु, पीएच रोड चेन्नै में स्थित बैंक के विजि़टिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स / टीएचएच, मेडिकल फ्लैट्स और प्रशिक्षार्थी फ्लैट्स तथा अण्‍णा नगर में वरिष्ठ अधिकारी विजि़टिंग ऑफिसर फ्लैट्स और सीएच रोड, चेन्‍नै स्थित मेडिकल फ्लैट्स में केयरटेकिंग और हाउसकीपिंग (खानपान सहित) के लिए एक एजेंसी को नियुक्त करने के लिए इच्‍छुक है।

और जबकि नियोक्ता ने रिज़र्व बैंक अधिकारी क्‍वार्टर्स, एसएएफ गेम्स विलेज, कोयंबेडु, पीएच रोड चेन्नै में स्थित बैंक के विजि़टिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स / टीएचएच, मेडिकल फ्लैट्स और प्रशिक्षार्थी फ्लैट्स तथा अण्‍णा नगर में स्थित वरिष्ठ अधिकारी विजि़टिंग ऑफिसर फ्लैट्स और सीएच रोड, चेन्‍नै स्थित मेडिकल फ्लैट्स में केयरटेकिंग और हाउसकीपिंग (खानपान सहित) के लिए पात्र एजेंसियों से निविदाएं आमंत्रित की थीं, जिन्‍हें कार्य की व्‍याप्ति में और निविदा से जुड़े अन्य दस्तावेजों में दर्शाया गया है।

और जबकि एजेंसी और अन्‍य व्‍यक्तियों ने निविदाएं प्रस्‍तुत की थीं तथा नियोक्‍ता ने रिज़र्व बैंक अधिकारी क्‍वार्टर्स, एसएएफ गेम्स विलेज, कोयंबेडु, पीएच रोड चेन्नै में स्थित बैंक के विजि़टिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स / टीएचएच, मेडिकल फ्लैट्स और प्रशिक्षार्थी फ्लैट्स तथा अण्‍णा नगर में स्थित वरिष्ठ अधिकारी विजि़टिंग ऑफिसर फ्लैट्स और सीएच रोड, चेन्‍नै स्थित मेडिकल फ्लैट्स में केयरटेकिंग और हाउसकीपिंग (खानपान सहित) के लिए ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए एजेंसी को संविदा प्रदान की है, जिन्‍हें कार्य की व्‍याप्ति में और निविदा से जुड़े अन्य दस्तावेजों में दर्शाया गया है।

और जबकि एजेंसी इसमें नियत शर्तों और संविदा की शर्तों में निर्धारित शर्तों तथा कार्य की व्याप्ति में विस्तार से दिए गए अनुसार और बाद में आपसी सहमति के अनुसार कार्य में कुछ जोड़ने/ घटाने के कारण कार्य में होने वाली वृद्धि/ कमी, प्रकट और निहित रूपों में मूल रूप से दोनों द्वारा सहमत किए गए अनुसार और नैसर्गिक रूप से एएमसी के स्‍वरूप से उत्पन्न होने वाली शर्तों (जिन सभी को इसके बाद सामूहिक रूप से उक्‍त “शर्तें" कहा गया है) के अनुसार काम को जो उपर्युक्‍त कार्य की व्याप्ति में वर्णित है उसे एएमसी में निर्धारित दर पर गणना पर या ऐसी अन्य देय राशि पर (इसके बाद इसे "उक्‍त संविदा राशि" कहा गया है) कार्य करने के लिए सहमत है।

**क. अब एतद्द्वारा निम्‍नानुसार सहमति हुई हैः**

1. यह करार 01 अप्रैल 2024 से प्रभावी होगा और शुरुआती तौर पर उस स्थिति में 31 मार्च 2025 तक (आगे दो वर्ष की अवधि के लिए अर्थात 31 मार्च 2027 तक बढ़ाया जा सकता है (एक बार में एक वर्ष)) प्रभावी रहेगा जब तक इसमें इसके बाद बताई गई शर्तों के अनुसार इसे समाप्‍त नहीं किया जाता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।
2. एजेंसी उक्‍त शर्तों/ एएमसी अवार्ड पत्र में उल्लिखित तरीके के अनुसार उपर्युक्‍त संविदा राशि के भुगतान करने के मद्देनज़र उक्‍त शर्तों के अधीन कार्य की व्याप्ति में वर्णित काम पूरा करेगा।
3. बैंक एजेंसी को कथित संविदा राशि कथित शर्तों में विनिर्दिष्‍ट समय और तरीके से अदा करेगा।
4. आयकर विभाग द्वारा समय-समय पर जारी और वर्तमान में लागू दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक स्रोत पर कर (टीडीएस) और अन्य किसी कानून के अंतर्गत लागू कटौती करेगा। संबंधित कानून में दिए गए अनुसार कटौती नहीं किए जाने के लिए उपयुक्त प्रमाणपत्र निर्धारित समय सीमा के भीतर बैंक द्वारा ऐसी कटौती किए जाने से पूर्व प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी एजेंसी की होगी।
5. सहायक महाप्रबंधक, एचआरएमडी, चेन्नै बैंक की ओर से प्राधिकृत प्राधिकारी हैं।
6. एएमसी प्रदान करने संबंधी पत्र, करार और यहां उल्लिखित दस्तावेज इस संविदा के आधारभूत घटक होंगे।
7. ₹ ( रुपये मात्र) के प्रभार के अंतर्गत हाउसकीपिंग और रखरखाव सेवाएं कारगर ढंग से देने के लिए प्रयुक्‍त मानवशक्ति और सामग्री शामिल है तथा इसका भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा बशर्ते बिल/ इन्‍वाइस प्रस्‍तुत किया जाता हो। उक्‍त भुगतान बैंक के अधिकारियों द्वारा इस आशय का प्रमाणपत्र, कि सेवाएं संतोषजनक रूप से दी गई हैं, विधिवत जारी किए जाने के बाद किया जाएगा, जिस पर सांविधिक कटौतियां लागू होंगी।
8. उक्‍त प्रभार निश्चित है, जो कि श्रम संबंधी शर्तें, विनिमय दर में उतार-चढ़ाव या अन्‍य किसी भी शर्त के अधीन है।
9. उक्‍त प्रभार में जीएसटी शामिल नहीं है, तथापि, उसमें ऐसी अन्‍य कर और शुल्‍क या लेवी शामिल है, जिसे केंद्र सरकार या राज्‍य सरकार यार अन्‍य किसी स्‍थानीय प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में लगाया जाता है या भविष्‍य में लगाया जाएगा।
10. एजेंसी कार्य की व्‍याप्ति और संविदा के निबंधन और शर्तों के अनुसार नियमित आधार पर सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा।
11. संविदा को समान नियमों और शर्तों पर अधिकतम दो वर्षों के लिए आगे नवीकृत के लिए विचार किया जा सकेगा, बशर्ते बैंक को एजेंसी की सेवाएं संतोषजनक लगे और यदि बैंक ऐसा चाहता है। एएमसी के वार्षिक नवीकरण के दौरान, एएमसी राशि में अधिकतम अनुमेय वृद्धि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि के मद्देनज़र बैंक द्वारा किए गए निर्णय पर आधारित होगी।

**ख. एजेंसी द्वारा दी जाने वाली सेवाएं:**

1. उक्त शर्तों और यहां संलग्न पत्रों को इस करार के एक हिस्‍से के रूप में पढ़ा जाएगा और समझा जाएगा तथा इसके दोनों पक्षकार इसका पालन करेंगे और वे उक्त शर्तों एवं इसके पत्रों में बताई गई बातों को पूरा करेंगे। साथ ही, वे उक्‍त शर्तों और उसमें निहित पत्रों के अनुसार अपने-अपने हिस्‍से के अनुसार करार का निष्‍पादन करेंगे।
2. यह संविदा एक निश्चित एकमुश्त संविदा है, जो निविदा (भाग II) की वित्तीय बोली में निहित दरों पर खंड VI में वर्णित विस्तृत कार्य की व्‍याप्ति के अनुसार कार्य को पूरा करने के लिए है।
3. एजेंसी बैंक के वीओएफ और ट्रेनी फ्लैटों में तैनात सभी कर्मियों की संपूर्ण और अद्यतन सूची प्रदान करेगा।
4. संविदा दिए जाने के 15 दिनों के भीतर, एजेंसी को बैंक के परिसर में ड्यूटी के लिए नियुक्त करने से पहले नाम, आयु और स्थायी पते को शामिल करते हुए अपने सभी कार्मिकों का विवरण पासपोर्ट आकार की तस्वीर सहित प्रस्तुत करना है।
5. बैंक के परिसर में ड्यूटी के लिए नियुक्त करने से पहले अपने कार्मिकों के चरित्र और पूर्ववृत्तों की रिपोर्ट दर्शाने वाला पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र तथा आयु, नाम व स्थायी पते के अन्य विवरणों के साथ-साथ उनके पासपोर्ट आकार की तस्वीरें एजेंसी को प्राप्‍त करनी हैं ताकि उन्‍हें इस संविदा के तहत किया जा सके।
6. एजेंसी ऐसे प्रशिक्षित और सक्षम व्यक्तियों का तैनात किया जाना सुनिश्चित करेगा, जो शारीरिक रूप से स्‍वस्‍थ हैं (यानी अधिमानतः श्रमिकों और पर्यवेक्षक के मामले में 18 से 55 वर्ष तक की आयु के बीच) और जो ऐसी किसी भी दीर्घकालिक या संक्रामक बीमारियों से पीड़ित नहीं हैं जो काम को दक्षतापूर्वक पूरा करने में उनकी क्षमता को बाधित कर सकती हैं।
7. एजेंसी द्वारा तैनात सभी कामगारों या कर्मचारियों को एजेंसी के कर्मचारियों के रूप में माना जाएगा और ऐसे कामगारों/ कर्मचारियों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक का किसी भी प्रकार का दायित्व नहीं होगा।
8. एजेंसी उन व्यक्तियों को वेतन, सांविधिक न्यूनतम मज़दूरी और अन्य कानूनी देय राशियों के भुगतान के लिए जिम्‍मेदार और उत्तरदायी होगा जो इस करार के तहत बैंक द्वारा अपेक्षित सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से नियोजित हैं। एजेंसी सभी लागू कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य होगा और कोई देयता उत्पन्न होने के मामले में बैंक को एजेंसी द्वारा क्षतिपूर्ति की जाएगी।
9. एजेंसी अपने द्वारा नियोजित श्रमिकों/ व्यक्तियों **को (चेक के माध्यम से या बैंक खाते में जमा करके) आगामी महीने के 10 दिनों के भीतर** मजदूरी/ वेतन का समय पर भुगतान सुनिश्चित करेगा और इस आशय का प्रमाण पत्र कि वेतन/ मजदूरी का नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है, प्रत्येक माह नियोक्ता को प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा, एजेंसी इस आशय का प्रमाण-पत्र हर महीने प्रस्तुत करेगा कि विभिन्न श्रम कानूनों और ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के तहत सभी दायित्वों का अनुपालन किया जाता है। बैंक को एजेंसी द्वारा भुगतान की गई मजदूरी/ वेतन के ब्योरे को सत्यापित करने के लिए एजेंसी से बैंक विवरण मांगने का अधिकार होगा और उसे किसी ऐसे अन्य दस्तावेजों की मांग करने का भी अधिकार होगा जो श्रम कानूनों के विभिन्न प्रावधानों के लिए एजेंसी द्वारा किए गए अनुपालन का पता लगाने के लिए आवश्यक हैं। बैंक में संविदा कार्य निष्पादित करने के लिए एजेंसी द्वारा तैनात किए गए श्रमिकों के लिए मजदूरी के विप्रेषण और उचित एजेंसी को पीएफ (नियोक्ता और कर्मचारी) और ईएसआई के सांविधिक अंशदान का प्रमाण, चयनित एजेंसी/ एजेंसी द्वारा हर महीने बैंक को दावा बिल के साथ प्रदान किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं करने पर दावा बिल का निपटान नहीं किया जाएगा।
10. एजेंसी यह सुनिश्चित करेगा कि इस करार के तहत बैंक द्वारा अपेक्षित सेवाओं को प्रदान करने के उद्देश्य से नियोजित सभी व्यक्तियों के लिए भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बीमा कंपनियों के पास बीमा किया जाता है, जिसके लिए बैंक द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। कार्य संविदा के निष्‍पादन के लिए बैंक में तैनाती के कारण किसी व्‍यक्ति या जानवर को चोट या अन्‍य वस्‍तुओं को क्षति होने पर उसके लिए एजेंसी पूरी तरह जिम्‍मेदार होगा।
11. एजेंसी यह सुनिश्चित करेगा कि सभी कर्मचारी, बैंक के परिसर में रहते हुए या इस करार के तहत अपने दायित्वों को पूरा करते समय स्वच्छता, शिष्टाचार, सुरक्षा, अच्छे व्यवहार और सामान्य अनुशासन के संबंध में बैंक या उसके अधिकृत एजेंटों द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करते हैं और बैंक इस बात पर एकमात्र निर्णयकर्ता होगा कि एजेंसी और/ या उसके कर्मचारियों द्वारा उनका पालन किया जाता है कि नहीं।
12. एजेंसी व्यक्तिगत रूप से और अनन्‍य रूप से सभी कर्मचारियों के काम की निगरानी करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस करार के तहत प्रदान की गई सेवाओं से बैंक पूरी तरह से संतुष्ट है।
13. एजेंसी यह सुनिश्चित करेगा कि एजेंसी का कोई भी कर्मचारी निर्दिष्ट समय सीमा को छोड़कर अन्‍य समय में बैंक परिसर में तब तक प्रवेश नहीं करेगा या रहेगा जब तक कि एजेंसी के दायित्वों को पूरा करने के लिए ऐसा करना अत्‍यंत आवश्यक न हो जाए, जिसके लिए बैंक का पूर्व अनुमोदन लिया गया हो।
14. एजेंसी उसके या उसके कर्मचारियों या एजेंटों के किसी भी कार्य, गलती, चूक या लापरवाही के कारण बैंक या उसके परिसर या उसके किसी भाग या किसी भी फिक्स्चर या फिटिंग या बैंक की किसी भी संपत्ति को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी होगा।
15. एजेंसी इस संविदा के तहत कर्तव्यों का पालन करते समय उसके द्वारा विनियमों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में बैंक पर लगाए गए किसी भी दंड के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा।
16. एजेंसी निम्नलिखित के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के पक्ष में बीमा करवाएगा और उसे लागू रखेगा

क. कार्य के निष्पादन से/ दौरान होने वाली तीसरी पार्टी के नुकसान/ व्यक्ति या संपत्ति को हुए नुकसान से उत्पन्न दावा

ख. कार्य के निष्पादन के दौरान एजेंसी द्वारा काम पर लगाए गए कामगार को हुए नुकसान/ क्षति से उत्पन्न दावा

ग. लागू पीएफ/ श्रम कानूनों, ईएसआई, विनियमों आदि का अनुपालन न किए जाने के कारण उत्पन्न कोई दावा

1. एजेंसी उन सभी कर्मचारियों या एजेंटों को पहचान पत्र उपलब्‍ध कराएगा जो बैंक के परिसर में विषयगत काम करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सभी कर्मचारी और एजेंट बैंक के परिसर में काम करते समय हर समय पहचान पत्र धारण करते हैं।
2. एजेंसी इस बात से सहमत है और यह वचन देता है कि वह इस करार के तहत दायित्‍वों का निष्‍पादन किए जाने उसके द्वारा नियुक्‍त/ काम पर लगाए गए सभी व्‍यक्तियों को यह स्‍पष्‍ट करेगा कि वे एजेंसी के कर्मचारी हैं और वे नियोक्‍ता, अर्थात बैंक से कोई दावा नहीं करेंगे। साथ ही, यह भी स्‍पष्‍ट करेंगा कि बैंक मज़दूरी, वेतन या संविदा के कार्यनिष्‍पादन के सिलसिले में किसी भी प्रकार की प्रतिपूर्ति का भुगतान करने या श्रम कानून और/ या किसी अन्‍य कानून के तहत अन्‍य कोई सांविधिक लाभ उपलब्‍ध कराने के लिए उत्‍तरदायी नहीं होगा तथा अपने कर्मचारियों को संगत कानून/ नियमों/ सेवा की शर्तों के अंतर्गत ऐसी सभी सुविधाएं उपलब्‍ध कराने का जिम्‍मा पूर्ण रूप से एजेंसी का होगा।
3. एजेंसी इस बात से सहमत है कि वह ऐसी सामग्री/ ब्रैंडों का उपयोग करेगा जो उत्‍तम गुणवत्‍ता की हों। एजेंसी द्वारा प्रयुक्‍त सामग्रियों की गुणवत्‍ता की आवधिक आधार पर ऑडिट जांच कराने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित है।
4. एजेंसी अपने कामगारों और सामग्रियों तथा पूरे किए गए कार्य की सुरक्षा के लिए तब तक अपनी ओर से व्यवस्था करेगा जब तक कि बैंक को इन्‍हें सुपुर्द नहीं किया जाता है।
5. एजेंसी तमिलनाडु राज्य सरकार के कानून या केंद्र सरकार के कानून के तहत आवश्यक लाइसेंस, यदि कोई हो, प्राप्त करेगा, जैसा कि इस संविदा के अंतर्गत कवर की गई सेवाओं के मामले में लागू होता है।
6. एजेंसी द्वारा तैनात सभी कर्मचारियों को कंपनी के लोगो युक्‍त वर्दी और पहचान पत्र उपलब्‍ध करा दिया जाए।
7. एजेंसी बैंक के परिसर में तैनात कामगारों को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए कि वे बैंक की आवासीय कॉलनियों में अपना कार्य करते समय कोई संदेहास्‍पद वस्‍तु/ गतिविधि पाए जाने पर उसकी रिपोर्ट बैंक के सुरक्षा स्‍टाफ को तत्‍काल दे दें।
8. एजेंसी यह नोट करे कि बैंक के परिसर में धूम्रपान करना, शराब पीना, पान / तंबाकू चबाना पूरी तरह निषिद्ध है और बैंक के परिसर में तैनात कामगारों द्वारा इस नियम का सख्ती से पालन किया जाना सुनिश्चित करे।
9. एजेंसी बैंक के परिसर और आवासीय कॉलोनियों की सुरक्षा और संरक्षा से संबंधित सभी प्रक्रियाओं/ मानदंडों का पालन करेगा।
10. एजेंसी संविदा के बंद किए जाने/ की समाप्ति के बाद बैंक परिसर में उनके द्वारा तैनात सभी श्रमिकों को तुरंत हटा देगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे व्यक्ति बैंक परिसर में किसी भी प्रकार का व्यवधान/ बाधा/ समस्या पैदा नहीं करते हैं।
11. एजेंसी और उसके कर्मचारी एचआरएमडी/ संपदा विभाग या बैंक द्वारा इस उद्देश्य के लिए प्रतिनियुक्त किसी अन्य कर्मियों के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे और परिसर में दिन-प्रति-दिन के काम के लिए उनसे आवश्यक अनुदेश प्राप्त करेंगे।

#### **ग. करार को समाप्‍त करना**

* + 1. बैंक बिना उपर्युक्त बातों प्रतिकूल प्रभाव डाले, अपने एकमात्र और पूर्ण विवेकाधिकार पर, किसी भी कारण को निर्दिष्ट किए बिना और किसी भी मुआवजे का भुगतान किए बिना लिखित नोटिस द्वारा इस करार को उस स्थिति में तुरंत समाप्त करने का हकदार होगा, यदि
       1. बैंक की राय में (जिस पर एजेंसी द्वारा कोई प्रश्‍न नहीं उठाया जाएगा और जो कि एजेंसी के लिए बाध्‍यकारी होगा) एजेंसी इस करार को बैंक की संतुष्टि के अनुसार निष्‍पादित करने से चूक जाता हो या इंकार करता हो और/ या
       2. एजेंसी इस करार के किसी भी निबंधन व शर्तों का उल्लंघन करता है और/ या
       3. किसी भी कारण से, एजेंसी इस करार के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए कानून की दृष्टि से निर्हकित हो जाता है और/ या
       4. एजेंसी या उसके कारोबार के स्वामित्व/ भागीदारी या प्रबंधन में बैंक के लिखित पूर्व-अनुमोदन के बिना परिवर्तन किया जाता है।
    2. किसी भी कारण से इस करार को समाप्‍त किए जाने की स्थिति में, एजेंसी/ या उसके या उसके एजेंटों द्वारा नियोजित व्यक्ति मुआवजे, क्षतियों या अन्यथा के माध्यम से बैंक से कोई भी राशि प्राप्‍त करने के लिए हकदार नहीं होंगे।
    3. इस संविदा में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, संविदा की किसी भी शर्त का अननुपालन, अवज्ञा, या उल्लंघन या एजेंसी द्वारा असंतोषजनक या अदक्ष तरीके से काम किए जाने की स्थिति में, नियोक्ता बिना कोई कारण बताए एजेंसी को लिखित रूप में एक माह का नोटिस देने के बाद इस संविदा को रद्द करने का संपूर्ण और स्‍वतंत्र प्राधिकार रखता है और यह एजेंसी के लिए बाध्‍यकारी होगा तथा संविदा नोटिस में बताई गई समय-अवधि के पूरे हो जाने पर तत्‍काल प्रभाव से समाप्‍त हो जाएगी। उस स्थिति में एजेंसी किसी मुआवजे/ क्षतिपूर्ति के लिए हकदार नहीं होगा और प्रतिभूति जमाराशि वापस नहीं की जाएगी।
    4. संविदा को बंद किए जाने या संविदा की समाप्ति पर, एजेंसी बैंक परिसर को खाली कर देगा और बैंक से संबंधित सभी लेखों/ सामग्री/ संपत्ति को सौंप देगा या वापस कर देगा।

**घ. स्टांप शुल्क:** एजेंसी इस करार की मूल प्रति का स्टांप शुल्क वहन करेगा, जिसे दो प्रतियों में निष्पादित किया जाएगा, और बैंक मूल के पास मूल प्रति रहेगी और दूसरी प्रति एजेंसी के पास रहेगी।

ङ. एजेंसी यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा नियोजित कामगारों को संबंधित कानून के अनुसार समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाता है।

च. एजेंसी मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 या इस संबंध में लागू किसी अन्य श्रम कानून/ संविधि के किसी भी उपबंध के उल्लंघन के लिए सभी नुकसानों और दावों, क्षतियों या मुआवजे के संबंध में बैंक को क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा और क्षतिपूर्ति रक्षा उपलब्‍ध कराता रहेगा। एजेंसी इससे संबंधित देयताओं, यदि कोई हों, के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

छ. इस करार के सभी हिस्सों को एजेंसी द्वारा सावधानीपूर्वक पढ़कर पूरी तरह से समझा गया है।

**ज. प्रकटीकरण संबंधी मानदंड**: एजेंसी इस करार के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के दौरान एजेंसी को मिलने वाली कोई भी जानकारी, सामग्री तथा बैंक के बुनियादी ढांचा/ सिस्टम/ उपस्करों आदि के संबंध में मिलने वाली जानकारी का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रकटीकरण किसी अन्य पक्षकार को नहीं करेगा तथा हमेशा इसे अतिगोपनीय बनाए रखेगा, चाहे इस संविदा की समाप्ति हो जाए या इस संविदा को बंद कर दिया जाए। लागू कानून का अनुपालन करने या संविदा के अधीन अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक होने की स्थिति को छोड़कर एजेंसी इस संविदा के ब्‍योरों को निजी दायरे में और गोपनीय रखेगा। नियोक्ता की पूर्व लिखित अनुमति के बिना एजेंसी किसी व्यापारिक या तकनीकी पेपर में या अन्यत्र कार्य के विवरण को न तो प्रकाशित करेगा, न ही प्रकाशन की अनुमति देगा और न ही इसका प्रकटीकरण करेगा। किसी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को हुई हानि के लिए एजेंसी बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा। उपर्युक्त शर्तों का पालन न करना एजेंसी द्वारा संविदा भंग माना जाएगा और बैंक हुई क्षति का दावा करने तथा कानूनी उपाय करने का हकदार होगा।

इस करार के अधीन गोपनीय जानकारी का प्रकटीकरण न किए जाने के दायित्व को सुनिश्चित करने के लिए एजेंसी अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा। प्रकटीकरण न करने और गोपनीयता के संबंध में एजेंसी का दायित्व इस करार के समाप्त होने या किसी भी कारण से समाप्त किए जाने के बाद भी बना रहेगा।

झ. नियोक्‍ता इस करार के निबंधन व शर्तों पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले, इस संविदा की प्रचलित अवधि में एजेंसी को पत्र के माध्‍यम से सूचित करके कार्य की किसी मद या कार्य/ कार्यों के हिस्‍सों में परिवर्धन या लोप करते हुए कार्य के विनिर्देशों और कार्य के स्‍वरूप में बदलाव करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

एजेंसी सभी कार्यों को बैंक के अधिकारियों के विस्तृत विनिर्देशों और निर्देशों के अनुसार दृढ़ता से पूरा करेगा। यदि बैंक के अधिकारियों की राय में, साइट की स्थिति के अनुरूप मामूली परिवर्तन किए जाने हैं और नियोक्ता के लिखित में पूर्व अनुमोदन के साथ, एजेंसी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के इसे पूरा करेगा।

**ञ. सत्‍यनिष्‍ठा संबंधी वचन**: नियोक्‍ता यह वचन देता है कि वह ऐसा कोई लाभ की मांग नहीं करेगा या नहीं लेगा जो कानूनी तरीके से उपलब्‍ध नहीं है। नियोक्‍ता सभी बोली लगाने वालों के साथ निष्‍पक्ष और न्‍यायसंगत रूप से व्‍यवहार करेगा। बोली लगाने वाले यह वचन देते हैं कि वे मूल्‍यों, विनिर्देशों, प्रमाणपत्रों, अनुषंगी संविदाओं आदि के संबंध में अन्‍य बोली लगाने वालों को कोई लाभ नहीं देंगे या कोई समझौता करेंगे। बोली लगाने वाले अन्‍यों के साथ कारोबारी संबंध के एक हिस्‍से के रूप में नियोक्‍ता द्वारा उपलब्‍ध कराई गई सूचना साझा नहीं करेंगे और पीसी/ आईपीसी अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध नहीं करेंगे। बोली लगाने वालों को एजेंटों/ दलालों या किसी अन्य मध्यस्थ को उनके द्वारा किए जाने वाले भुगतानों का प्रकटीकरण करना होगा। बोली लगाने वालों के लिए ज़रूरी है कि वह अन्‍य किसी कंपनी के साथ किए गए ऐसे अपराध का प्रकटन करे जो भ्रष्‍टाचार-रोधक सिद्धांत को बाधित कर सकता है। विदेशी बोली लगाने वालों के लिए ज़रूरी है कि वे भारत में उनके एजेंटों और प्रतिन‍िधियों के नाम व पते का प्रकटन करें तथा भारतीय बोली लगाने वालों के लिए ज़रूरी है कि वे अपने विदेशी प्रधानों या एसोसिएटों का प्रकटन करें।

**ट. एजेंसी को भुगतान करना**: एजेंसी हर महीने की समाप्ति के बाद बिल प्रस्‍तुत करेगी और भुगतान समर्थक दस्‍तावेजों सहित संपूर्ण बिल प्रस्‍तुत करने की तारीख से 30 दिन के भीतर किया जाएगा। एएमसी प्रभारों और रसदों (वेलकम किट, चाय/ कॉफी किट, पानी की बोतलें और समाचार पत्र आदि) की प्रतिपूर्ति के लिए बिल अलग से प्रस्‍तुत किया जा सकता है। रसदों की आपूर्ति के लिए प्रस्‍तुत बिल में स्वागत किटों, चाय/ कॉफी किटों, समाचार पत्रों, पानी की बोतलों आदि की संख्या को अलग से दर्शाया जाए। रसदों की आपूर्ति के लिए प्रस्‍तुत बिल में स्वागत किटों, चाय/ कॉफी किटों, समाचार पत्रों, पानी की बोतलों आदि की संख्या अलग से दर्शाई जाए। उसके समर्थन में आगंतुकों की पावती, जिसे संबंधित कॉलोनी के केयरटेकर द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया हो, प्रस्‍तुत की जाए। बिल प्रस्तुत करने से पहले, एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि भुगतान बिल की अवधि में एजेंसी द्वारा तैनात व्यक्तियों के लिए किया गया है। किसी भी आधार पर अग्रिम भुगतान हेतु अनुरोध किए जाने पर उस पर विचार नहीं किया जाएगा। एजेंसी इस संविदा की शर्तों में उल्लिखित प्रभारों के अलावा अन्‍य किसी भी शुल्‍क का दावा करने की हकदार नहीं है।

इस संविदा के तहत नियोक्ता द्वारा सभी भुगतान केवल चेन्नै में किए जाएंगे। इस करार से या उसके संबंध में पैदा होने वाले सभी विवादों को चेन्नै में पैदा हुआ माना जाएगा और इस पर निर्णय करने का अधिकार क्षेत्र केवल चेन्नै में स्थित न्यायालयों के पास होगा।

एजेंसी उक्‍त शर्तों में उल्लिखित अवधि और तरीके से उपर्युक्‍त संविदा राशि के भुगतान के मद्देनज़र उक्‍त शर्तों के अधीन उपर्युक्‍त विनिर्देशों और मात्रा अनुसूची के अनुसार कार्यनिष्‍पादन करेगा और कार्य को पूरा करेगा।

उक्त शर्तों को इस करार के हिस्से के रूप में पढ़ा जाएगा और समझा जाएगा तथा इसके पक्षकार उपर्युक्‍त शर्तों में अपने-अपने हिस्‍से के लिए उल्लिखित बातों का पालन करेंगे और करार में बताए अनुसार कार्यनिष्‍पादन करेंगे।

ठ. संविदा आरबीआई द्वारा संविदा प्रदान करने की दिनांक से शुरू होगी और 09 महीने की अवधि के लिए लागू रहेगी। बैंक के पास संविदा की अवधि को दो वर्ष (एक बार में एक वर्ष) तक की अवधि के लिए पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों या समान निबंधन और शर्तों पर विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित है। कोई भी पक्ष लिखित रूप में तीन स्पष्ट कैलेंडर महीनों की सूचना देकर करार को समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा। समय को इस संविदा का आवश्यक अंग माना जाएगा और एजेंसी एतद्दवारा अनंतिम रूप से 01 जुलाई 2022 से कार्य शुरू करने और उक्त शर्तों के अनुसार औपचारिक कार्य आदेश जारी करने और निर्धारित अवधि के भीतर काम पूरा करने के लिए सहमत है।

ड. कोट की गई दरें वित्तीय बोली - निविदा के भाग II पर आधारित होंगी और संविदा की अवधि के दौरान सांविधिक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा सांविधिक न्यूनतम मजदूरी में घोषित परिवर्तन, यदि कोई हो तो , सहित बिना किसी भी वृद्धि के स्थायी और बाध्यकारी होंगी।

ढ. एजेंसी बैंक के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना संविदा या उसके किसी भाग को किसी अन्य व्यक्ति/कंपनी/संगठन को उप संविदा पर नहीं देगी, हस्तांतरित नहीं करेगी या सौंपेगी।

**ण.** **जोखिम खंड**: किसी भी अन्य खंड में अन्य किसी बात के होते हुए भी, आरबीआई संविदा के अंतर्गत अपने दायित्वों का निर्वहन करने में एजेंसी की ओर से किसी भी विफलता के कारण या इसके दिवालिया होने या परिसमापन की स्थिति में संविदा को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। एजेंसी की ओर से विफलता के बारे में आरबीआई का निर्णय अंतिम और एजेंसी पर बाध्यकारी होगा। यह समाप्ति 5 कार्य दिवसों के नोटिस पर की जा सकती है।

यदि किसी भी कारण से वीओएफ/टीएफ संचालन के किसी भी क्षेत्र में सेवा में कोई रूकावट/सेवा की कमी होती है, तो एजेंसी आरबीआई द्वारा तय की गई दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगी। उमप्र/मप्र, एचआरएमडी, आरबीआई, चेन्नै का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

एजेंसी की ओर से किसी भी विफलता की स्थिति में भारतीय रिज़र्व बैंक को बिना किसी पूर्वाग्रह के एजेंसी के जोखिम और लागत पर किसी अन्य वैकल्पिक एजेंसी के माध्यम से काम करवाने का अधिकार होगा। अतिरिक्त लागत, हानि, यदि आरबीआई द्वारा वहन की गई है, तो एजेंसी से वसूल की जाएगी। आरबीआई अपने विवेक से, संविदा अवधि के दौरान किसी भी समय वीओएफ/टीएचएच को बंद कर सकता है।

आरबीआई रखरखाव किए जाने के लिए वीओएफ/टीएफ की संख्या बढ़ा सकता है जिसके लिए अतिरिक्त श्रमशक्ति की तैनाती की आवश्यकता हो सकती है। देय राशि आपसी परामर्श के अनुसार तय की जाएगी।

त. **जुर्माना**:

एजेंसी बैंक के पदनामित कर्मचारियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक उपस्थिति रजिस्टर रखेगा और प्रत्येक महीने के बिलों के साथ उसकी एक प्रति संलग्न करेगा, ऐसा करने में विफल रहने पर कोई भुगतान जारी नहीं किया जाएगा। यदि एजेंसी का तैनात किया गया कोई भी कर्मचारी अनुपस्थित रहता है और वह उसके स्थान पर उपयुक्त विकल्प प्रदान करने में असमर्थ है, तो बैंक द्वारा अनुपस्थित कर्मियों के वेतन के अतिरिक्त **रु1000/- प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का जुर्माना** लगाया जाएगा और इसकी कटौती एजेंसी के लंबित/बाद के बिलों से की जाएगी।

**एजेंसी द्वारा निम्न संविदात्मक दायित्वों की पूर्ति न करने पर लगाए जाने वाले दंड:**

अ. शिकायत रजिस्टर में दर्ज की गई शिकायतें और 24 घंटे के अंदर उन पर कार्रवाई नहीं किया जाना

आ. बिना सफाई किए हुए कमरा आवंटित करना

इ. कुछ मदें उपलब्ध नहीं होना

ई. बैंक के स्थान का दुरुपयोग (शराब आदि का सेवन) / किसी अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश

उ. सेवाएं प्रदान करने में देरी / गैर-कार्यनिष्पादन

ऊ. एजेंसी के कर्मचारियों द्वारा आईडी कार्ड और वर्दी दोनों का न पहनना

ऋ. एचआरएमडी, आरबीआई, चेन्नै की अनुमति के बिना आवंटी को अधिक अवधि के लिए रहने की अनुमति देना

ए. मकड़ी के जालों, पंखों और ट्यूबलाइटों, खिड़की के फ्रेम, शटर, वर्टिकल ब्लाइंड, दरवाजे आदि की सफाई न करना

ऐ. किसी भी आवंटी को कमरा आवंटित करने से पहले चादरें आदि बदले बिना कमरों का आवंटन करना

ओ. दैनिक सफाई, पोछा लगाना, झाडू लगाना, झाड़ने का काम आदि नहीं करना

औ. हाउस कीपिंग और रखरखाव सेवाओं से संबंधित कोई अन्य चूक (उपर्युक्त के अतिरिक्त)

ऊपर उल्लेख किए गए अनुसार या अन्य किसी भी कारण से वीओएफ/टीएचएच परिचालन के किसी भी क्षेत्र में सेवा की कमी होने पर एजेंसी आरबीआई द्वारा तय की गई दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है। उमप्र/मप्र, एचआरएमडी, आरबीआई, चेन्नै का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा

जुर्माना राशि के संविदा राशि के 10% तक पहुंचने की स्थिति में बैंक संविदा को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और एजेंसी इस संबंध में जोखिम और लागत वहन करने के लिए उत्तरदायी होगा। जुर्माने की राशि को कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी या एजेंसी को देय किसी अन्य राशि को रद्द करके विनियोजित किया जाएगा।

बैंक एजेंसी द्वारा काम पर लगाए गए कामगार कर्मचारियों की उपस्थिति की निगरानी के लिए मैनुअल उपस्थिति रजिस्टर के स्थान पर बायोमेट्रिक उपस्थिति मशीनों को रख सकता है।

थ. **बीमा**:

सफल निविदाकार संविदा की अवधि के लिए काम पर लगाए गए श्रमिकों के लिए संविदा मूल्य और कामगार प्रतिकर पॉलिसी के लिए "सभी जोखिम शामिल पॉलिसी" लेगा। एजेंसी नियोक्ता के लिए उन सभी दावों के खिलाफ बीमा करवाएगा जो किसी भी व्यक्ति द्वारा या अन्य किसी **तीसरी पार्टी** द्वारा कार्यों के संबंध में या कार्यों के परिणामस्वरूप उत्पन्न हो सकते हैं। एजेंसी किसी अनुमोदित कार्यालय से अपने स्वयं के खर्च पर एक बीमा पॉलिसी लेगा और संविदा के वास्तविक रूप से पूरा होने तक उसे बनाए रखेगा। एजेंसी ऐसे जोखिमों के लिए बीमा पॉलिसी नियोक्ता (प्रथम नाम) और एजेंसी के संयुक्त नामों में लेगा और इस संविदा की अवधि के दौरान समय-समय पर नियोक्ता के पास ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियां जमा करेगा।

यदि बैंक द्वारा संविदा का नवीनीकरण किया जाता है तो सफल निविदाकार एक वर्ष के लिए काम पर लगाए गए श्रमिकों के लिए "**कामगार क्षतिपूर्ति पॉलिसी**" लेगा जो कि बाद में नवीकरणीय होगी। व्यक्तियों या भवन या किसी तीसरे पक्ष को होने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए एजेंसी बैंक का बीमा करवाएगा। काम पर लगाए गए सभी कर्मचारियों के लिए कामगार मुआवजा बीमा पॉलिसी भी न्यूनतम वेतन या प्रति कर्मचारी भुगतान किए गए वास्तविक वेतन के न्यूनतम कवरेज के साथ ली जाएगी। इसकी प्रतियां बैंक को जमा करनी होंगी।

एजेंसी उत्पन्न होने वाले ऐसे जोखिमों के लिए कार्य शुरू करने से पहले नियोक्ता द्वारा अनुमोदित बीमा कंपनी से आवश्यक बीमा कवर (कामगार प्रतिकर पॉलिसी), तीसरा पक्ष / सार्वजनिक देयता के लिए एजेंसी और एजेंसी के संयुक्त नामों में एक बीमा पॉलिसी लेगा (जिसमें एजेंसी का नाम पहले रखा जाएगा)। (कर्मचारी प्रतिकर पॉलिसी ) के अंतर्गत न्यूनतम कवर संविदा की पूर्ति के लिए तैनात कामगार को भुगतान की गई मजदूरी की सीमा तक होगा।

तीसरे पक्ष/सार्वजनिक दायित्व के अंतर्गत न्यूनतम कवर 2 लाख रुपये होगा।

एजेंसी व्यक्तियों, जानवरों या चीजों को होने वाली सभी चोटों के लिए और संपत्ति के सभी संरचनात्मक और सजावटी नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा जो कि उसके द्वारा या उसके किसी नामित उप-एजेंसी के कर्मचारियों के संचालन या उपेक्षा से उत्पन्न हुई हैं, या चाहे ऐसी चोट या क्षति लापरवाही से उत्पन्न हुई हो , दुर्घटना या किसी अन्य कारण से हुई है जो किसी भी तरह से संविदा के अंतर्गत कार्य को पूरा करने से जुड़ा हुआ है। इस खंड में, अन्य बातों के साथ-साथ, इमारतों को किसी भी तरह की क्षति, चाहे वह निकट में स्थित हो या सड़कों, गलियों, फुटपाथों, पुलों या रास्तों को हुई किसी भी तरह की क्षति के साथ-साथ इमारतों और कार्यों को हुई सभी क्षतियां शामिल होंगी जो कि ठंड या मौसम की अन्य प्रतिकूलता के कारण हुई हों। एजेंसी नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा और उसे सभी और किसी भी तरह की चोट या क्षति से उत्पन्न होने वाले किसी भी व्यक्ति या संपत्ति के नुकसान के संबंध में और साथ ही सरकार के किसी भी अधिनियम के अंतर्गत चोट या क्षति के संबंध में किए गए किसी भी दावे के संबंध में क्षतिपूर्ति करेगा और ऐसे दावों के परिणामस्वरूप मुआवजे या नुकसान के किसी भी निर्णय के संबंध में भी क्षतिपूर्ति करेगा।

नोट: ये पॉलिसियां कार्य पूर्ण होने तक वैध रहेंगी। यदि एजेंसी इन पॉलिसियों को उपलब्ध नहीं करता है तो बैंक उपरोक्त बीमा पॉलिसियों को स्वयं लेने और एजेंसी के बिल से उसकी लागत वसूल करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

द. **संविदा करार पर हस्ताक्षर**: निविदाकारों के लिए सामान्य अनुदेश और इसके पहले संदर्भित निविदा दस्तावेजों के साथ संलग्न संविदा की शर्तें और तकनीकी विनिर्देशन, बाद में बैंक और निविदाकर्ता के बीच किया गया पत्राचार और प्रदान किया गया कार्य आदेश सफल निविदाकर्ता के साथ की जाने वाली अंतिम संविदा का आधार होगा।

निविदाकार इसके साथ संविदा की सामान्य शर्तों में दिए गए निबंधनों और शर्तों को पढ़ेगा और उसका प्रस्ताव उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुरूप होगा। विनिर्दिष्ट निबंधन और शर्तों से कोई विचलन स्वीकार्य नहीं होगा। निविदा दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर संविदा की सामान्य शर्तों, तकनीकी विशिष्टताओं आदि से परिचित होने के आशय के हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

बैंक से अपनी निविदा की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकर्ता संविदा को लागू करने के लिए बाध्य होगा और उसके चौदह दिनों के भीतर सफल निविदाकर्ता मसौदा करार के अनुसार करार पर हस्ताक्षर करेगा। संविदा पर हस्ताक्षर के होते हुए भी, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किसी निविदा की लिखित स्वीकृति अपने आप में भारतीय रिज़र्व बैंक और इस प्रकार निविदा देने वाले व्यक्ति के बीच एक बाध्यकारी करार होगा, चाहे बाद में ऐसी कोई संविदा निष्पादित की गई हो या नहीं।

एजेंसी किसी अन्य को संविदा नहीं देगा। वह नियोक्ता की लिखित सहमति के बिना संविदा के किसी भी हिस्से को उप संविदा पर नहीं देगा। इन शर्तों के उल्लंघन के मामले में, नियोक्ता एजेंसी को संविदा को रद्द करने के बारे में लिखित रूप में नोटिस दे सकता है, जिसमें एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के नियोक्ता के अन्य उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रतिभूति जमाराशि को जब्त कर लिया जाएगा।

ध. **भाषा**: सभी दस्तावेजों आदि सहित निविदा अंग्रेजी और हिंदी में होगी।

न. निविदा के भाग को स्वीकार करने का अधिकार: बैंक के पास निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से निविदाकर्ता द्वारा कोट की गई समान कीमतों पर स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

प. एजेंसी **महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिंक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (अधिनियम)** के प्रावधानों का अऩुपालन करेगा।

अ. एजेंसी महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिंक उत्पीड़न ( निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के प्रावधानों का पूर्ण अऩुपालन करने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगी । बैंक के आवासीय परिसर के भीतर अपने कर्मचारी के खिलाफ लैंगिक उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में शिकायत निविदाकार द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दायर की जाएगी और निविदाकार उक्त शिकायत के संबंध में अधिनियम के अंतर्गत समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।

आ. एजेंसी के किसी व्‍यथित कर्मचारी द्वारा बैंक के किसी कर्मचारी के विरुद्ध की गई लैंगिक उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का संज्ञान बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा लिया जाएगा।

इ. यदि घटना में निविदाकार का कोई कर्मचारी शामिल होता है तो उस स्थिति प्रदान की जाने वाली किसी भी मौद्रिक प्रतिपूर्ति के लिए एजेंसी उत्तरदायी होगी, उदाहरण के लिए बैंक के किसी कर्मचारी को दी जाने वाली मौद्रिक राहत यदि एजेंसी के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा सिद्ध हो जाती है।

ई. कार्यस्थल पर लैंगिंक उत्पीड़न की रोकथाम और अन्य संबंधित मुद्दों पर अपने कर्मचारियों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी एजेंसी की होगी।

उ. एजेंसी बैंक परिसर में काम पर लगाए गए अपने कर्मचारियों की पूरी और अद्यतन सूची उपलब्ध करवाएगी।

**फ.** अप्रत्याशित घटना**: यदि संविदा की अवधि के दौरान किसी भी समय, दोनों में से किसी भी पक्ष को अप्रत्याशित घटना का सामना करना पड़ता है जैसे नागरिक अशांति, दंगे, हड़ताल, तूफान, दैवी कृत्य आदि, जो किसी भी पक्ष को उसके दायित्वों को पूरा करने से रोकता है तो प्रभावित पक्ष ऐसी घटना के होने के बारे में दूसरे पक्ष को तुरंत सूचित करेगा। ऐसी घटना के कारण कोई भी पक्ष अपने दायित्वों के कार्य निष्पादन के संबंध में संविदा को समाप्त करने का हकदार नहीं होगा। घटना के समाप्त होने या उसके कम होने के बाद संविदा के तहत दायित्वों को जल्द से जल्द फिर से शुरू किया जाएगा। यदि संविदा के अंतर्गत किसी भी दायित्व का कार्यनिष्पादन रुक जाता है या पारस्परिक रूप से सहमत अवधि से अधिक के लिए उसमें देरी हो जाती है, यदि कोई हो तो, या सात दिन की अवधि, दोनों में से जो भी अधिक हो, से अधिक होने के कारण, कोई भी पक्ष अपने विकल्प पर संविदा को समाप्त कर सकता है।**

ब. निम्नलिखित में से किसी भी आकस्मिकता में संविदा को समाप्त समझा जाएगा: -

(i) संविदा की अवधि समाप्त होने या इस करार को समाप्त किए जाने पर

या

(ii) सेवा की अवधि के दौरान किसी भी समय नोटिस देने पर यदि एजेंसी द्वारा प्रदान की गई सेवाएं संतोषजनक और सामान्य मानदंडों और सेवाओं के लिए निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाई जाती हैं।

या

(iii) एजेंसी द्वारा संविदा के किसी भी निबंधन और शर्तों का उल्लंघन करने पर ।

या

(iv) संविदा या उसके किसी भाग को या उससे या उसके अंतर्गत होने वाले किसी लाभ या हित को एजेंसी द्वारा किसी तीसरे व्यक्ति को पूर्ण रूप से या उसके किसी हिस्से को उप-संविदा पर देने पर।

या

(v) सक्षम न्यायालय द्वारा एजेंसी को दिवालिया घोषित किए जाने पर। ऊपर उल्लेख की गई स्थिति में संविदा को समाप्त किए जाने के लिए दी गई नोटिस अवधि के दौरान एजेंसी नोटिस अवधि की समाप्ति तक अपने कर्तव्यों का निर्वहन पहले की तरह करता रहेगा। एजेंसी का यह कर्तव्य होगा कि वह किसी भी आधार पर संविदा की समाप्ति पर उसके द्वारा तैनात सभी व्यक्तियों को हटा दे और यह सुनिश्चित करे कि कोई भी व्यक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए किसी भी प्रकार का व्यवधान/बाधा/समस्या पैदा न करे।

एजेंसी की मृत्यु, असक्षमता, दिवालियेपन या किसी अन्य कारण या परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होने वाली अनिवार्यताओं की स्थिति में, संविदा की देनदारियों को बैंक जैसा उचित समझे वैसी निबंधन और शर्तों पर निम्नलिखित द्वारा वहन किया जाएगा नामतः

i) एकमात्र मालिक के मामले में कानूनी उत्तराधिकारी

ii) कंपनी या फर्म जैसा भी मामला हो, के संबंध में अगले निदेशक / भागीदार।

बैंक संविदा को रद्द कर सकता है और बैंक के पास मामले की परिस्थितियों के अनुसार जैसा बैंक उचित समझे मामले को निपटाने का अधिकार सुरक्षित है।

भ. किसी भी जांच, पूछताछ, विवाद या अपील के दौरान किसी भी पक्ष को वकील द्वारा प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इस करार के अंतर्गत या इसके संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, विवाद / मतभेद की स्थिति में (उन मामलों को छोड़कर जिनके निर्णय विशेष रूप से करार के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं) उन्हें क्षेत्रीय निदेशक, आरबीआई, चेन्नै द्वारा नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ के पास भेजा जाएगा।

मध्यस्थ का निर्णय अंतिम और पार्टियों के लिए बाध्यकारी होगा। जिस मध्यस्थ को मामला मूल रूप से संदर्भित किया गया है यदि उसका स्थानांतरण हो जाता है या वह अपना कार्यालय छोड़ रहा है या इस्तीफा दे रहा है या काम करने से इंकार कर रहा है या अपने काम की उपेक्षा कर रहा है या किसी भी कारण से कार्य करने में असमर्थ है तो ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय निदेशक, आरबीआई, चेन्नै उसके स्थान पर करार की शर्तों के अनुसार एक और मध्यस्थ नियुक्त करेगा। इस प्रकार नियुक्त किया गया व्यक्ति उस स्तर से कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हकदार होगा जिस स्तर पर कार्य को उसके पूर्ववर्ती द्वारा छोड़ा गया था।

मध्यस्थ आवश्यकतानुसार अंतरिम निर्णय और/ या निदेश दे सकता है।

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के पूर्वोक्त प्रावधानों और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और समय-समय पर लागू होने वाले किसी भी संशोधन को इस खंड के अंतर्गत मध्यस्थता की कार्यवाही पर लागू माना जाएगा।

इस करार के उद्देश्य के लिए केवल चेन्नै के न्यायालयों का क्षेत्राधिकार होगा। आपसी सहमति से विवादों को निपटाने के लिए मध्यस्थता तंत्र का भी उपयोग किया जा सकता है।

हितों का टकराव: निविदाकारों के किसी हितों का टकराव नहीं होगा। नीचे उल्लिखित हितों का टकराव पाए जाने पर सभी निविदाकारों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

(ए) दो अलग-अलग आवेदनों के निविदाकारों के मामले में साझा रूप से नियंत्रक शेयरधारकों का होना

(बी) निविदाकार (उनके कार्मिकों और उप-संविदादारों सहित) जिनके आरबीआई स्टाफ के ऐसे सदस्यों के साथ पारिवारिक संबंध हैं जो परियोजना में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं, उन्हें संविदा प्रदान नहीं की जाएगी।

घोषणा:

मैं/ हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने उपरोक्त सभी अनुदेशों/शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और यदि उपर्युक्त वार्षिक सेवाएं संविदा मुझे/हमें प्रदान की जाती है तो यह मुझ /हम पर बाध्यकारी होगा।

|  |  |
| --- | --- |
| स्थानः  निविदाकार |  |
| **दिनांक** | **प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और सील** |